भारत सरकार
Government of India
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
Ministry of Finance, Department of Revenue
कार्यालय आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड
Office of the Commissioner, Customs (Prev), Uttar Pradesh & Uttarakhand
7वां तल, अप्रत्यक्ष कर भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
7th Floor, Apratyaksh Kar Bhavan, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone No.:0522-2329372, E-mail: cuslko.technical@gov.in

NATION TAX MARKET

F.No.:CUS/LKO/TECH/PUBLIC/TRADENOTICES/01/2023 Date:27-12-2024

2570(S/L)

[redacted]

Public Notice No.14/2024 Dated:27-12-2024
सार्वजनिक सूचना संख्या: 14/2024 दिनांक: 27-12-2024

विषय: **ICEGATE ई-भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर इलेक्ट्रानिक रूप से स्वैक्छिक भुगतान को सक्षम करने के सम्बन्ध में**

Sub: **Enabling Voluntary Payment electronically on ICEGATE e-Payment Platform-reg**

1. व्यापार/ हितधारकों और सभी सम्बंधितों का ध्यान सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 27/ 2024-Customs फाइल संख्या F.No.450/54/ 2024- Cus.IV दिनांक: 23th December, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमे आइसगेट ई-भुगतान प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रानिक रूप से स्वैक्छिक भुगतान की सुविधा सक्षम की गई है, शेष सेवाओं को डिजिटल बनाने और इसे कागज रहित बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आइसगेट ई-भुगतान प्लेटफार्म को स्वैक्छिक स्व-आरम्भिक भुगतान (एसआईपी) के इलेक्ट्रानिक संग्रह के साथ सक्षम किया गया है।

Attention of trade / stake holder and all concerned is invited to the Circular No. 27/ 2024-Customs issued by CBIC vide F.No.450/54/ 2024- Cus.IV dated 23th December, 2024 wherein facility of Voluntary Payment electronically on ICEGATE e-Payment Platform has been enabled in line with Government's commitment to digitize the remaining services and to make it paperless. ICEGATE e-Payment Platform has been enabled with electronic collection of Voluntary/Self-Initiated Payments (SIP).

2. इस नई कार्यक्षमता की परिकल्पना मौजूदा टीआर-6 भुगतानों को बदलने के लिए की गई है जो वर्तमान में विभिन्न सीमा शुल्क स्टेशनों पर मैन्युअल रूप से किए जा रहे हैं। यह कार्यक्षमता उपयोगकर्ताओं को स्वैक्छिक भुगतान के लिए स्व-आरम्भित चालान उत्पन्न करने और फिर सीमा शुल्क अधिकारियों की मंजूरी के बिना ICEGATE ई-भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाएगी।

This new functionality has been envisaged to replace the existing TR-6 payments which are currently being done manually at various Customs Stations. This functionality shall enable the users to generate a self-initiated challan for voluntary payments and then make payments through the ICEGATE e-payment platform without any further approval by officers of Customs.

3. ICEGATE पर स्वैक्छिक भुगतान सुविधा का उपयोग करते समय, उपयोगकर्ताओं को नीचे उल्लिखित पहलुओं पर जागरूक किया जा सकता है:

a. स्वैच्छिक भुगतान मोड्यूल पोस्ट-लॉगिन कार्यक्षमता के रूप में पहुँच योग्य होगा | इस सुविधा तक पहुँचने के लिये उपयोगकर्ताओं को ICEGATE पर पंजीकृत होना चाहिए;
b. यह सुविधा उन भुगतानों के साथ सक्षम है जो मुख्य रूप से अतीत में किए गए आयात/निर्यात के लिए हैं | दूसरे शब्दों में यह सुविधा आईसीईएस/ईसीसीएस/एसईजेड ऑनलाइन एसीईएस अनुप्रयोगों द्वारा उत्पन्न चालान का प्रतिस्थापन नहीं है | इसलिए, इसका उपयोग किसी भी लाइव खेप की निकासी के लिए सीमा शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए;
c. विभिन्न उद्देश्य, जिनके लिए भुगतान किया जा सकता है, उपरिलिखित परिपत्र के अनुलग्नक-ए में दिए गए हैं, जिसमे भुगतान करते समय सावधानी से चयन करने की सलाह दी गई है ;
d. भुगतान का प्रमाण आगे की कारवाई के लिए सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जा सकता है |
e. अधिकारी https://foservices.icegate.gov.in/ /epayment/enquiry का उपयोग करके भुगतान विवरण सत्यापित कर सकता है | सत्यापन के लिए विस्तृत सलाह डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी |

While using the voluntary payment Facility at ICEGATE, the users may be sensitized on the below-mentioned aspects:

a) The Voluntary Payment module will be accessible as a post-login functionality. Users must be registered on ICEGATE to access this feature;

b) This facility is enabled with payments which are primarily meant for imports/exports cleared in the past. In other words, the facility is not a replacement for challans generated by ICES /ECCS/SEZ online ACES applications. Therefore, it should not be used for payment of customs duties for clearance of any live consignments:

c) The various purposes, for which the payment can be made, are provided in Annexure-A of abovementioned Circular, wherein, it is advised to select the same carefully while making payment.

d) The proof of payment may be submitted to the concerned field formations for taking further action,

e) The officer may verify the payment details using https://foservices. icegate.gov.in/ /epayment/enquiry. Detailed advisory for verification will be made available by DG (Systems).

4.1 वर्तमान में, ICEGATE उपयोगकर्ताओं इलेक्ट्रानिक कैश लेजर (केवल IEC धारकों और सीमा शुल्क दलालों के लिए उपलब्ध) से डेबिट के रूप में स्वैच्छिक भुगतान कर सकते हैं |

4.2 यदि उपयोगकर्ता चालान-वार भुगतान करना चाहते हैं, तो ICEGATE प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन-वार भुगतान करने की भी अनुमति देता है, जिससे सिस्टम डिजाईन शुल्क भुगतान के लिए लेखांकन से पहले इलेक्ट्रानिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान को तुरंत रूट करने का ध्यान रखता है | स्वैच्छिक भुगतान स्वीकृति के लिए परीक्षण पूरा होने पर, वर्तमान में, ऐसे चालान-वार भुगतान के लिए निम्नलिखित मोड सक्षम हैं:

a) अधिकृत बैंक मोड के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिग के तहत नौ(9) बैंक:
   1. पंजाब नेशनल बैंक
   2. कोटक महिंद्रा बैंक
   3. IDBI बैंक
   4. कर्नाटक बैंक
   5. केनरा बैंक
   6. करूर वैश्य बैंक
   7. साउथ इन्डियन बैंक
   8. फेडरल बैंक
   9. इंडसइंड बैंक

b) RBI के माध्यम से NEFT/RTGS

c) भुगतान एग्रीगेटर मोड

4.3 परीक्षण पूरा होने पर शेष बैंको को भी शुरू किया जायेगा | अन्य सभी तरीकों में, उपयोगकर्ताओं के पास पहले से ही शेष अधिकृत तरीकों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में राशि जमा करने और इलेक्ट्रानिक

कैश लेजर का उपयोग करके स्वैच्छिक भुगतान करने के लिए इसका उपयोग करने का विकल्प है।

4 . 1 Currently, ICEGATE users can make voluntary payments as a debit from the Electronic Cash Ledger (only available for IEC holders and Customs Brokers).
4.2 In case, users wish to initiate challan-wise payment, the ICEGATE platform also allows user to make transaction-wise payment on the platform, whereby the systems design takes care of routing the payment instantaneously through Electronic Cash Ledger before accounting for duty payment. On completion of testing for voluntary payment acceptance, at present, following modes are enabled for such challan-wise payments:

a. Nine (9) banks under internet banking through authorized bank mode
(1) Punjab National Bank (PNB), (2) Ratak Mahindra Bank (3) IDBI Bank (4) Karnataka Bank (5) Canara Bank (6) Karur Vvsya Bank (KVB) (7) South Indian Bank (SIB) (8) Federal Bank (9) Indusind Bank

b. NEFT/ RTGS through RBI
c. Payment Aggregator mode

4.3 Remaining banks shall be enabled as and when the testing is complete. In all other modes, users already have an option to deposit the amount in the Electronic Cash Ledger through remaining authorized modes and use the same for making voluntary payment using Electronic Cash Ledger.

5. चूंकि उपरोक्त सुविधा का उद्देश्य टीआर-6 चालान का उपयोग करके ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भुगतान करने की वर्तमान प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना है इसलिए, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 दिसंबर,2024 के बाद मैन्युअल टीआर-6 चालान के माध्यम से कोई भी भुगतान स्वीकार न करें, जब तक कि आयुक्त महोदय, सीमा शुल्क, लखनऊ द्वारा इसे अनुमोदित न कर दिया जाए। अनुमोदन हेतु भुगतान की मैन्युअल विधि का सहारा लेने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। फील्ड अधिकारी ICEGATE पोर्टल (http://www.icegate.gov.in) के सेवा अनुभाग में उपलब्ध 'भुगतान स्थिति-स्वैच्छिक भुगतान' विकल्प के माध्यम से स्वैच्छिक चालान देख सकते हैं।

Since the above facility is aimed at replacing the current procedure of making Over-The-Counter (OTC) payment using TR-6 Challan, hence, all the officers are hereby directed not to accept any payments through manual TR-6 challan after 31st December, 2024 unless the same is approved by the Commissioner, Customs (P) Lucknow. The approval must clearly spell out the reasons for resorting to the manual method of payment. The field officers can view the voluntary challans through 'Payment Status - Voluntary Payment' option available in 'Service' section of ICEGATE portal (http://www.icegate.gov.in).

6. उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने और उन्हें शामिल करने के लिए स्वैच्छिक/स्व-आरंभित भुगतान (एसआईपी) सुविधा पर एक उपयोगकर्ता मैन्युअल ICEGATE प्लेटफ़ॉर्म (http://www.icegate.gov.in/ guidelines स्वैच्छिक भुगतान) पर अपलोड किया गया है।

A user manual on the Voluntary/Self-Initiated Payment (SIP) facility to handhold and onboard the users has been uploaded on the ICEGATE platform (http://www.icegate.gov.in/ guidelines voluntary-payment).

7. इस सार्वजनिक सूचना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई की सूचना सीमा शुल्क आयुक्तालय, लखनऊ

को दी जानी चाहिए |

Any difficulty in the implementation of this Public Notice should be reported to the Customs (P) Commissionerate, Lucknow.

Signed by Ranjeet Kumar
Date: 27-12-2024 16:13:13
RANJEET KUMAR
COMMISSIONER

Copy to:

1. The Chief Commissioner, Customs (Prev), Patna Zone, Patna.
2. The Deputy/Assistant Commissioner, Customs (P) Division Lucknow/ Nautanwa/Gorakhpur/Varanasi/Bareilly for necessary action and to inform the trade/stake holders and all concerned suitably.
3. Deputy/Assistant Commissioner, ICD- Panki/JRY/Chakeri/Agra/ Bhadohi/Madho Singh for necessary action and to inform the trade/stake holders and all concerned suitably.
4. The Deputy/Assistant Commissioner (Administration/ All Batches/AIU), Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow and LBSI Varanasi.
5. The Superintendent (Systems), Customs (P) Hdqrs Lucknow uploading the Public Notice on website of Commissionerate.
6. Notice Board.